



## न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक II/निग./अशोकनगर/भूरा/2017/453।

*श्री लक्खन धाकर*  
द्वारा आज दि. 17-11-17  
प्रस्तुत  
*कृ*  
कृष्णनगर मण्डल म.प्र. ग्वालियर

*कृष्णनगर मण्डल म.प्र. ग्वालियर*  
8-12-17

Lakhan Singh Dhakar  
Advocate *17-11-17*  
निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959  
न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला ~~मुमुक्षु~~ के प्रकरण क्रमांक 297/-स्व.  
निगरानी/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 29.09.17 के विरुद्ध प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रेषित है :—

### प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :—

- 1— यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 865/6 रकवा 0.627 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 965 रकवा 0.575 हैक्टेयर, सर्वे क्रमांक 976 रकवा 0.272 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकवा 1.474 हैक्टेयर ग्राम भौंराकाछी, तहसील/जिला अशोकनगर (म.प्र.) में स्थित है उक्त विवादित भूमि का पट्टा आवेदक को विधिवत पात्रता के आधार पर बंटन हुआ था। उक्त विवादित भूमि का पट्टा विधिवत तहसीलदार महोदय अशोकनगर जिला अशोकनगर द्वारा विधिवत प्रकरण क्रमांक 39/अ-19/2001-2002 पर पंजीयन किया जाकर कार्यवाही की गई और आवेदक को पात्रता के आधार पर आदेश दिनांक 09.06.2002 से पट्टा दिया गया था। तथा उसी दिनांक से मौके पर कब्जा प्राप्त किया जाकर निरंतर खेती कर अपना व अपने परिवार का भरण पोंछण कर रहा है।
- 2— यह कि आवेदक एक हरिजन जाति का व्यक्ति है जिसे म.प्र. शासन द्वारा नियमानुसार पात्रता के आधार पर पट्टा दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र एक फर्जी शिकायत के आधार पर आवेदक को विना सूचना दिये व सुनवाई का अवसर दिये गौर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। जबकि शिकायतकर्ता को शिकायत करने का अधिकार नहीं है शिकायतकर्ता गलतरूप से शासकीय भूमि पर अवैधरूप से कब्जा कर लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर गौर नहीं किया गया कि शिकायतकर्ता का व्यक्तिगत हित छिपा हुआ है इस कारण उसके द्वारा मिथ्या शिकायत की गई है। जो विचार योग्य ही नहीं थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को विना सुने एकपक्षीयरूप से आदेश पारित किया गया है। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ  
प्रकरण क्रमांक-टो/निग./अशोकनगर/भू.रा./2017/4531

जिला- अशोकनगर

बादल सिंह विरुद्ध केदार अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
---------------------	--------------------	--

२२-०८-१९

प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला- अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 297/स्वमेवनिगरानी/06-07 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, जिला - ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।

2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, जिला ग्वालियर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

(जे० क० ज० जैन)  
सदस्य

र  
र  
र  
र  
र

र  
र  
त  
प  
के  
थ  
है।